

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 84/2015

जसनाथ स्वामी पुत्र भोमनाथ, निवासी शंभू भवन के अंदर, फतेह सागर, जोधपुर।

----अपीलकर्ता

बनाम

1. भीखनाथ पुत्र भंवर नाथ, निवासी नया बास नंबर 2, हनुमान मंदिर के पास, सिरोही, जिला सिरोही।
2. वारी देवी पत्नी भीखनाथ, निवासी नया बास नंबर 2, हनुमान मंदिर के पास, सिरोही, जिला सिरोही।

----प्रतिवादीगण

संबंधित

एस.बी. आपराधिक अपील संख्या 611/2015

राजस्थान राज्य

----अपीलकर्ता

बनाम

1. भीखनाथ पुत्र भंवर नाथ, निवासी नया बास नंबर 2, हनुमान मंदिर के पास, सिरोही, जिला सिरोही।
2. वारी देवी पत्नी भीखनाथ, निवासी नया बास नंबर 2, हनुमान मंदिर के पास, सिरोही, जिला सिरोही।

----प्रतिवादीगण

अपीलकर्ता(ओं) के लिए

:

श्री अनिल गुप्ता

श्री मृणाल खत्री

प्रतिवादी(ओं) के लिए

:

श्री हनुमान प्रजापत, पीपी

श्री प्रदीप चौधरी

जस्टिस दिनेश मेहता

निर्णय

प्रकाशनीय

18/03/2025

1. वर्तमान अपीलें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (आगे 'सीआरपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 372 सपठित धारा 378 के तहत अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता और राज्य द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर मेट्रोपॉलिटन, जोधपुर (आगे 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित) द्वारा 09.12.2014 को पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसके तहत आरोपी - व्यक्ति अर्थात् भीखनाथ, भंवर नाथ और वारी देवी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (आगे 'आईपीसी' के रूप में संदर्भित) की धारा 306 के तहत लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है।
 2. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने शुरू में तर्क दिया कि अभियुक्त भंवर नाथ (प्रतिवादी संख्या 2) का निधन हो चुका है और इसलिए उनके विरुद्ध अपील निरस्त कर दी गई है। तदनुसार आदेश दिया जाता है।
 3. संबंधित तथ्य यह हैं कि 01.01.2006 को दिनेश उर्फ भूपेन्द्र नाथ नामक व्यक्ति ने अपने कमरे में पंखे से रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
 4. प्रारम्भ में, सक्षम प्राधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अंतर्गत मामले की जाँच की; एक जाँच जारी की गई, लेकिन कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, हालाँकि मृतक के पिता द्वारा 02.01.2006 को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायतकर्ता जसनाथ (मृतक के पिता) ने 19.01.2006 को पुनः एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद 20.01.2006 को पुलिस थाना सदर कोतवाली, जोधपुर में प्राथमिकी संख्या 19/2006 के तहत मामला दर्ज किया गया।
-

5. जाँच के बाद, पुलिस ने एक नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन दाखिल किया; जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दायर की थी। विरोध याचिका के अनुसरण में, जाँच की गई, जिसके दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट (प्रदर्श पी/10) और मृतक दिनेश द्वारा रखी जाने वाली डायरी (प्रदर्श पी /9) बरामद हुई।
 6. इसके बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया; जिसके बाद मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आरोप तय किए गए।
 7. अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और इस प्रकार उन पर कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया।
 8. विचारण के दौरान, राजेन्द्र अरोड़ा (पीडब्ल्यू-1) साक्षी कठघरे में उपस्थित हुए और डायरी (प्रदर्श पी/1) और स्थल निरीक्षण ज्ञापन (प्रदर्श पी/2) की जब्ती को प्रमाणित किया; जबकि प्रेमचंद (पीडब्ल्यू-2) ने जांच रिपोर्ट (प्रदर्श पी/3), पंचनामा (प्रदर्श पी /4), ओडनी की जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श पी /5) और लाश को पीडब्ल्यू-6 (प्रदर्श पी/6) को सौंपने का ज्ञापन प्रमाणित किया। भीम नाथ (पीडब्ल्यू-3) (मृतक के मामा) ने गवाह बॉक्स में पेश होकर खुशबू (मृतक की पत्नी) की दो तस्वीरें (प्रदर्श डी/1 और डी/2) और धारा 174 सीआरपीसी के तहत पूछताछ के दौरान दर्ज प्रेमचंद के बयान (प्रदर्श डी /3) को साबित किया। घेवर नाथ (प्रदर्श-4) और चैन नाथ (प्रदर्श-5) (मृतक के एक और मामा) गवाह के कठघरे में पेश हुए और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 202 (प्रदर्श डी/4) की कार्यवाही के तहत दिए गए बयानों को बरकरार रखा। शिकायतकर्ता - जसनाथ (पीडब्ल्यू-6) गवाह के कठघरे में पेश हुए और उन्होंने 02.01.2006 (प्रदर्श पी/ 7) की रिपोर्ट, जिसे 'मर्ग' या 'मृत्यु रिपोर्ट' के रूप में दर्ज किया गया था, 19.01.2006 की टाइप की गई शिकायत (प्रदर्श पी/8) , मृतक की डायरी (प्रदर्श पी/9) , सुसाइड नोट
-

(प्रदर्श पी/10) और परिवार के शोक में होने के कारण जांच को स्थगित करने के संबंध में उनके आवेदन (प्रदर्श पी/11) को साबित किया। कान नाथ (प्रदर्श-7) गवाह के कठघरे में पेश हुए और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 161 (प्रदर्श डी/5) और सीआरपीसी की धारा 202 (प्रदर्श डी/6) के तहत दिए गए बयान को साबित किया। भंवरी देवी (पीडब्ल्यू-8) (मृतका की मां) ने खुशबू की तस्वीरें (प्रदर्श डी/1 और डी/2) साबित कीं। डॉ. एमपी जोशी (पीडब्ल्यू-9) ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत का कारण (प्रदर्श पी/9) साबित किया, जबकि लाल सिंह (जांच अधिकारी) (पीडब्ल्यू-10) ने 02.01.2006 से 23.01.2006 के बीच सीआरपीसी की धारा 174 के तहत की गई जांच के बारे में बयान दिया। किशोर सिंह, एसएचओ (पीडब्ल्यू-11), जिन्होंने मामले की जांच की और अंतिम नकारात्मक रिपोर्ट पेश की, गवाह के कठघरे में पेश हुए और इसे साबित किया। डॉ. अमिता भार्गव (पीडब्ल्यू-12) (न्यूरॉन फिजिशियन), जिन्होंने खुशबू की जांच की थी, ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श डी-7) को साबित किया और गवाही दी कि खुशबू पोलियो/लकवा से पीड़ित नहीं थी और वह घर के सभी काम करने में सक्षम थी।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन मामा (पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5) और शिकायतकर्ता - जसनाथ (पीडब्ल्यू-6) अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए गवाह बॉक्स में उपस्थित हुए।

10. मौखिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.12.2014 के निर्णय के तहत आरोपी व्यक्तियों को विभिन्न मामलों में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिसमें यह भी शामिल था कि सुसाइड नोट (प्रदर्श पी/10) और डायरी (प्रदर्श पी/9), जो बरामद किए गए थे और कथित तौर पर मृतक व्यक्ति के थे, मृतक द्वारा हस्तलिखित साबित नहीं हुए थे।

11. ऐसा मानते हुए, विचारण न्यायालय ने यह भी देखा कि जांच अधिकारी (पीडब्ल्यू-10) ने डायरी और सुसाइड नोट की जांच हस्तलेखन विशेषज्ञ से नहीं करवाई थी और इसलिए, यह तथ्य साबित नहीं हुआ कि डायरी और सुसाइड नोट मृतक द्वारा तैयार किए गए थे।

12. विचारण न्यायालय ने आगे कहा कि कोई भी गवाह यह साबित नहीं कर पाया कि किसी भी आरोपी ने मृतक को आत्महत्या के लिए कभी उत्प्रेरित/प्रेरित किया या मजबूर किया, जिससे कि कोई ऐसा कृत्य रिकार्ड में लाया जा सके जो आईपीसी की धारा 306 के दायरे में आता हो। आगे यह भी कहा गया कि 01.01.2006 को आत्महत्या करने वाले मृतक का 28.12.2005 के बाद आरोपी व्यक्तियों से कोई संपर्क नहीं था।

13. विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश की आलोचना करते हुए, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी करके गंभीर विधिक त्रुटि की है। यह तर्क दिया गया कि मृतक के शरीर और कब्जे से बरामद सुसाइड नोट और डायरी, मृतक दिनेश की हैं और सुसाइड नोट में लिखी बातों के विपरीत, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप त्रुटिपूर्ण रूप से सिद्ध नहीं पाया गया।

14. मृतक के सुसाइड नोट (प्रदर्श पी /10) और डायरी (प्रदर्श पी /9) का अवलोकन करते हुए , विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पर्याप्त सबूत मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि अभियुक्तों ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष डायरी और सुसाइड नोट के संबंध में हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय लेने में विफल रहा, अभियुक्तों को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता था।

15. विद्वान अधिवक्ता ने मृतक के मामा (पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5) और शिकायतकर्ता जसनाथ (पीडब्ल्यू-6) की गवाही का भी न्यायालय में उल्लेख किया

और तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के आरोप को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी करके विधिक त्रुटि की है और प्रार्थना की कि चुनौती दिए गए आदेश को निरस्त किया जाए और अभियुक्तों - 1 और 3 को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए।

16. विद्वान लोक अभियोजक ने भी अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल गुप्ता के साथ तर्क दिया और कहा कि पर्याप्त साक्ष्य और सामग्री मौजूद हैं जो अभियुक्तों के प्रत्यक्ष कृत्य की ओर इशारा करती हैं जिसके कारण मृतक आत्महत्या करने के लिए विवश हुआ। उन्होंने तर्क दिया कि जाँच अधिकारी (पीडब्ल्यू-10) द्वारा हस्तलेखन विशेषज्ञ की राय न लेने की चूक अभियुक्तों को क्लीन चिट देने का एकमात्र कारण नहीं हो सकती, खासकर जब अन्य व्यक्ति, अर्थात् मृतक के मामा (पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5) और शिकायतकर्ता - जसनाथ (पीडब्ल्यू-6) और जाँच अधिकारी (पीडब्ल्यू-10) ने उनके विरुद्ध गवाही दी है।

17. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता श्री चौधरी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने सुसाइड नोट और डायरी को फॉरेंसिक जाँच के लिए न भेजकर जाँच में गंभीर कमी छोड़ दी है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक यह तथ्य सिद्ध नहीं हो जाता कि डायरी और सुसाइड नोट मृतक द्वारा ही तैयार किए गए थे, तब तक सुसाइड नोट और डायरी में किए गए उल्लेखों का संज्ञान नहीं लिया जा सकता।

18. उन्होंने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि यदि सुसाइड नोट को भी ध्यान में लिया जाए, तो भी ऐसा कुछ नहीं है जो यह दर्शाए कि यह आरोपी व्यक्ति ही थे जिन्होंने

आत्महत्या के लिए उकसाया या सहायता की या ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण मृतक को आत्महत्या करने का अप्रिय निर्णय लेना पड़ा।

19. उन्होंने तर्क दिया कि मृतक व्यक्ति खुशबू के साथ अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट था और विवाह के 45 दिनों के भीतर ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शिकायतकर्ता द्वारा आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई गंभीर आरोप नहीं लगाया गया था।

20. उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्य आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई मामला सामने नहीं लाते।

21. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

22. अपीलकर्ता का मामला सुसाइड नोट और डायरी में दिए गए कथनों पर पूरी तरह आधारित है और इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉरेंसिक जाँच के लिए नहीं भेजा गया था। ऐसी फॉरेंसिक पुष्टि के अभाव में, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह सुसाइड नोट मृतक द्वारा लिखा गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी कमी इतनी गंभीर है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

23. शिकायतकर्ता और अभियोजन पक्ष के पास अभी भी प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर था जिससे यह सिद्ध हो सके कि संबंधित डायरी (प्रदर्श पी /9) और सुसाइड नोट (प्रदर्श पी /10) में लिखावट मृतक की ही थी, लेकिन इस आशय का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए, सुसाइड नोट और डायरी में किए गए कथन कानून की नज़र में सिद्ध नहीं हुए।

24. शशि कुमार बनर्जी एवं अन्य बनाम सुबोध कुमार बनर्जी के मामले में एआईआर 1964 एससी 529 में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह का विचार रखते हुए इस प्रकार टिप्पणी की है:

"इसके अलावा, यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि हस्तलेखन के संबंध में विशेषज्ञ का साक्ष्य, राय का साक्ष्य होता है और यह शायद ही कभी, मूल साक्ष्य का स्थान ले पाता है। ऐसे साक्ष्य पर कार्रवाई करने से पहले, यह देखना सामान्य है कि क्या यह स्पष्ट प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्ट होता है। वर्तमान मामले में, सभी संभावनाएँ विशेषज्ञ की राय के विरुद्ध हैं और दो सत्यापनकर्ता गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही, जिसे हम स्वीकार करते हैं, पूरी तरह से इसके अनुरूप है।"

25. मृतक के मामाओं (पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यू-4 और पीडब्ल्यू-5) और शिकायतकर्ता जसनाथ (पीडब्ल्यू-6) (मृतक के पिता) द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्यों की छानबीन करने पर, अधिक से अधिक यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृतक और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक कलह थी। लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है जो अभियुक्तों की ओर से उकसावे की किसी भी कार्रवाई को दर्शाता हो। उनके बयानों से आत्महत्या से संबंधित किसी भी घटना का कोई संबंध या निकटता दर्ज नहीं होती है।

26. अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में भी असंगति है। पीडब्ल्यू-3 और पीडब्ल्यू-4 ने गवाही दी कि मृतक की पत्नी एक हाथ और एक पैर में पोलियो/लकवा से पीड़ित थी, जबकि पीडब्ल्यू-6 ने गवाही दी कि वह एक हाथ में पोलियो/लकवा से पीड़ित थी। इससे गवाहों की गवाही की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है, खासकर जब डॉ. अमिता भार्गव (प्रदर्श-12) ने पोलियो या अन्य किसी कारण से खुशबू में किसी भी प्रकार की शारीरिक विकृति होने से इनकार किया था।

27. यदि अपीलकर्ता (शिकायतकर्ता - जसनाथ) के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क को सही मान लिया जाए और यह मान लिया जाए कि मृतक को प्रताड़ित किया गया था और उसने खुशबू , जो कथित रूप से पोलियो से पीड़ित थी, से विवाह करने की साजिश रची थी, तब भी, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तों की ओर से मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई अन्य विकल्प न छोड़ने में कोई सक्रिय या प्रत्यक्ष भूमिका थी। किसी भी कारण से वैवाहिक कलह का प्रमाण या साक्ष्य आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रमाण नहीं हो सकता। "आत्महत्या की घटना के तत्काल निकट उकसाने के कृत्य का साक्ष्य होना आवश्यक है ताकि ऐसे कृत्य को आत्महत्या के लिए उकसाने का कृत्य माना जा सके।"

28. यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के प्रावधान और धारा 107 के अंतर्गत दिए गए दुष्प्रेरण की परिभाषा को ध्यान में रखा जाए, तो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते कि मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के दायरे में लाने के लिए कोई प्रत्यक्ष या निकट उकसावा था। अभियुक्तों पर आत्महत्या के लिए उकसाने या सहायता करने का कोई सकारात्मक निकटवर्ती कार्य न होने पर, अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दुष्प्रेरण या उकसावा (यदि कोई हो) ऐसा होना चाहिए जिससे मृतक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने की एक निश्चित ' मनुष्य -प्रेरणा' प्रकट हो।

29. गवाहों के बयानों को मिलाकर पढ़ने पर यह बात सामने आती है कि मृतक दिनेश खुशबू के साथ अपने विवाह से असंतुष्ट या नाराज़ था । उसकी शिकायत (यदि कोई थी) खुशबू से थी । और आश्चर्य की बात यह है कि खुशबू को आरोपी नहीं बनाया गया। यह स्पष्ट है कि मृतक ने अपने जीवन का अंत उन कारणों से किया जो उसे ही बेहतर मालूम थे। न तो अप्रमाणित डायरी (प्रमाणित प्रति /9) और न ही सुसाइड नोट

(प्रमाणित प्रति/10) (भले ही उसे ध्यान में रखा जाए) और न ही मृतक के रिश्तेदारों (पीडब्ल्यू-3, पीडब्ल्यू-4, पीडब्ल्यू-5 और पीडब्ल्यू-6) के मौखिक बयान से ऐसी कोई घटना या साक्ष्य सामने आता है जिसका आत्महत्या के कृत्य से सीधा संबंध हो।

30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमलेंदु पाल @ झंटू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले (2010) 1 एससीसी 707 सहित कई निर्णयों में कानून की एक समान स्थिति देखी है, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में, आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य का प्रमाण होना आवश्यक है। केवल उत्पीड़न के आरोप के आधार पर, और घटना के समय तक अभियुक्त की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई न होने पर, जिसके कारण मृतक को आत्महत्या के लिए प्रेरित या मजबूर किया गया हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषसिद्धि कायम नहीं रह पाएगी।"

31. आत्महत्या के कृत्य और अभियुक्तों की कथित कार्रवाई के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। अभियुक्तों द्वारा भड़काने या उकसाने का कोई ऐसा कृत्य नहीं पाया जा सकता जिसके कारण मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई अन्य विकल्प न बचा हो। बिना किसी ठोस पुष्टि के निराधार आरोप या यहाँ तक कि दावे और आत्महत्या का मात्र तथ्य, व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत अपराध में दोषी ठहराने और दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता।

32. पटेल बाबूभाई मनोहरदास एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य के मामले में, MANU/SC/0321/2025 में प्रकाशित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि उकसावे में मृतक को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करना, दुराग्रह करना या उकसाना शामिल होना चाहिए और आत्महत्या की ओर ले जाने वाला कोई आसन्न कार्य होना चाहिए। प्रासंगिक अंश आगे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने में किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए उकसाने या जानबूझकर सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है। आत्महत्या के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए अभियुक्त की ओर से किसी सकारात्मक आसन्न कृत्य के बिना, दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकती। इसके अलावा, किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दोषी ठहराने के लिए, अपराध करने की स्पष्ट मंशा होनी चाहिए। "

33. उपर्युक्त विवेचना के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को वर्तमान अपीलों में आरोपित दिनांक 09.12.2014 के निर्णय में कोई त्रुटि या दोष नहीं प्रतीत होता है। अतः अपीलें खारिज की जाती हैं।

(दिनेश मेहता) .जे

83 एवं 84-अरुण/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है. एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी
